प्रारूप
नमूना

नमूना प्रारूप

परिशिष्ट–3

(नियम 8(5) देखिए)

(प्ररूप-एक)

निविदा में भाग लेने के पूर्व ऑनलाईन करार/वचन/सहमति पत्र

मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी...**रामलाल...** पुत्र/ पुत्री/ पत्नि श्री **..मोहनलाल...** स्वामी/ साझेदार/निदेशक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता....**मेसर्स दिव्या कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, किला रोड दतिया...** निवासी **बस स्टैण्ड, दतिया** जिला... **दतिया...** जिसे इसमें इसके पश्चात् निविदाकार कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, जहां संदर्भ में ऐसा माना गया है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती सम्मिलित हैं, आज दिनांक ..**21**.. माह.....**नवम्बर**..... सन् ..**2019** ..को सहमति देते हैं/वचनबद्ध हैं कि,-

1. यतः, निविदाकार ने खदानों आदि के संबंध में निविदा दस्तावेज में अधिकथित की गई शर्तों को ....**समूह जिला दतिया...** खदान की निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के पूर्व पढ़ लिया है या समझ लिया है और यह स्वीकार करता हूं कि निविदाकार उक्त शर्तों में से किसी शर्त के बारे में अज्ञानता व्यक्त करने का हकदार नहीं होगा।

2. निविदाकार एतद्द्वारा सहमति व्यक्त करता है कि,-
   - (क) निविदाकार में, निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व समूह में सम्मिलित रेत खदानों का मौके पर निरीक्षण कर लिया है एवं खदानों के सभी सुसंगत पहलुओं जैसे कि पहुंच मार्ग, खदानों में उपलब्ध खनिज की मात्रा, आदि के संबंध में अपना समाधान कर लेगा।
   - (ख) निविदा में भाग लेने के पूर्व, निविदाकर्ता खदान समूह की प्ररक्षित कीमत की 25% राशि अग्रिम में जमा करेगा, जो प्रतिभूति राशि कहलाएगी।
   - (ग) निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ ही औपचारिकताओं की पूर्ति करके खान संचालन किया जाएगा तथा विहित कालावधि में देय राशि का भुगतान किया जाएगा।
   - (घ) राज्य सरकार/कलक्टर उच्चतम निविदा राशि को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है, और यह भी कि राज्य सरकार प्राप्त उच्चतम निविदा को, उसके लिए कारण बताए बिना, स्वीकार करने अथवा निरस्त के लिए स्वतंत्र है।
   - (ङ) अनुमोदित खनन योजना/ पर्यावरण प्रबंधन योजना ठेके के अनुमोदन की तारीख से विहित कालावधि के भीतर मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण तथा व्यापार) नियम, 2019 के अधीन प्रस्तुत की जाएगी। इन औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात् 15 दिवस की कालावधि के भीतर, प्रारूप ......**X**..... में प्रतिभूति बंधपत्र के साथ प्रारूप **..(पांच)..** में अनुबंध निष्पादित किया जाएगा जिसमें असफल रहने पर संबंधित कलक्टर जमा की गई ठेका राशि की किश्त तथा इस प्रकार जमा की गई प्रतिभूति रकम समपहृत करेगा: परन्तु जहां राज्य सरकार/कलक्टर के उनके समाधान हो जाने पर यह राय है कि अनुबंध के

Sample

नमूना प्रारूप

प्रारूप नमूना

निष्पादन और औपचारिकताओं को पूर्ण करने में हुए विलंब के लिए सफल निविदाकार जिम्मेदार नहीं हैं, तो यथास्थिति, राज्य सरकार या इस निमित्त कोई प्राधिकृत अधिकारी उपरोक्त कालावधि के अवसान होने के पश्चात भी अनुबंध के निष्पादन की अनुज्ञा दे सकेगा।

3. मैंने मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 का पूर्वक अध्ययन कर लिया है एवं उनका पालन सावधानीपूर्वक करूंगा।

4. अनुबंध के निष्पादन और प्रतिभूति बंधपत्र प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रीकरण फीस का मेरे द्वारा वहन किया जाएगा।

5. मैं वचन देता/देती हूं किः

(क) मेरी फर्म/पार्टनरशिप फर्म/ एलएलपी/ कंपनी/ सोसायटी/....**दिव्या कंस्ट्रक्शन प्रा0लि0, दतिया**..... दिवालिया नहीं है तथा आबंटित खदान एवं खनिज के संबंध में कोई शोध्य बकाया नहीं हैं, यदि ऐसे कोई शोध्य पाये जाते हैं तो वह मेरी प्रतिभूति रकम से समायोजन योग्य होंगे।।

(ख) यदि अनुबंध के निष्पादन पूर्व अथवा पश्चात् में किसी भी समय यह आलोक में आता है कि मेरे पास निविदा प्रस्तुत करने हेतु वांछनीय अर्हता नहीं हैं तो मुझे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यदि मेरे/हमारे द्वारा गलत बयानी या गलत जानकारी के आधार पर ठेका प्राप्त कर लिया गया है तो मेरा/हमारा ठेका निरस्त हो जाएगा। यदि मेरे/हमारे पक्ष में आशय पत्र जारी किया जा चुका हो या मेरे/हमारे द्वारा अनुबंध निष्पादित कर दिया गया हो तो गलत बयानी या गलत जानकारी के लिए लिखित में सूचना द्वारा मेरा/हमारा स्वीकृति पत्र/अनुबंध निरस्त किया जा सकता है। ऐसे निरस्तीकरण के फलस्वरूप मेरी/हमारी प्रतिभूति राशि एवं अन्य राशि जप्त की जा सकती है तथा लागू विधियों या प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार कोई अन्य कार्यवाही करने का अधिकार भी होगा। निरस्तीकरण के कारण मुझको/हमको हुई किसी भी हानि के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

तारीख: **21/11/2019**
स्थान : **दतिया**

(................................)
निविदाकार के हस्ताक्षर
नाम...रामलाल S/O मोहनलाल,
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, मेसर्स दिव्या
कंस्ट्रक्शन प्रा0लि0, दतिया
पता.....बस स्टैण्ड, दतिया
मो.नं......9999999XXX
ई-मेल ....ramlal.nic.in

Sample

प्रारूप नमूना

नमूना प्रारूप

परिशिष्ट–5
अधिकार पत्र का प्रारूप

{उचित मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर निष्पादित कर नोटराईज्ड किया जाना है}

केवल कंपनी/साझेदारी फर्म/सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी,

हम ....**दिव्या कंस्ट्रक्शन प्रा0लि0,** (नाम) पता– **किला रोड दतिया** (पंजीकृत कार्यालय का पता) ; श्री/सुश्री (नाम) ....**रामलाल,निवासी बस स्टैण्ड दतिया, मोबाईल नंम्बर 9999999XXX**. आत्मज/आत्मजा/पत्नी .....**मोहनलाल**. .... को दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (निगम) को ..**जिला दतिया समूह** रेत खदानों के समूह हेतु आमंत्रित निविदा में भाग लेने, अनुबंध निष्पादित करने तक प्रस्ताव और अन्य दस्तावेज और लेखन, प्रीबिड और अन्य बैठकों में भाग लेने और निगम को सूचना/प्रतिक्रिया देने, सभी प्रपत्रों/दस्तावेजों/आवेदनों पर हस्ताक्षर करने, निगम द्वारा आमंत्रित रेत समूहों की निविदा में हमारा प्रतिनिधित्व करने तथा हमारे प्रस्ताव की स्वीकृति के परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण तथा व्यापार) नियम, 2019 के अंतर्गत सफल निविदाकार/ठेकेदार के रूप में अनुबंधनों और वचन पत्रों पर हस्ताक्षर और निष्पादन, और निविदा और/या हमारे प्रस्ताव के संबंध मे, निगम/कलेक्टर/सरकार से निपटना आदि समस्त कार्यो के लिए; आज दिनांक से कलेक्टर के साथ अनुबंध में प्रवेश करने तक, हमारे नाम और हमारी तरफ से समस्त कार्यवाहियां संपादित करने के लिए एतद् द्वारा हमारे अधिकृत व्यक्ति के रूप में मनोनीत, नियुक्त और अधिकृत करते हैं।

और हम इस प्रकार पुष्टि करते हैं कि हमारे द्वारा अधिकृत व्यक्ति को प्रदान की गई शक्तियों के प्रयोग के दौरान और किये गये सभी कार्य, कर्मों और चीजों को कानूनी रूप से किया गया या हमारे द्वारा अधिकृत किए जाने के कारण और प्रदान किये गये प्राधिकार पत्र के प्रयोग में अधिकृत व्यक्ति द्वारा किए गए सभी कृत्यों, कर्मों और चीजों को हमेशा हमारे द्वारा किया गया माना जाएगा।

साक्ष्य में हमने, ...**18 नवम्बर**....;.......**(दिनांक)**.. के दिन, **2019** को ....

ऊपर नामित व्यक्ति को इस प्राधिकार पत्र पर निष्पादित करके अधिकृत व्यक्ति नियुक्त किया ।

Sample

(हस्ताक्षर)

श्रीमती दिव्या सिंह
पत्नि श्रीमती गणेश सिंह
प्रबंध संचालक. दिव्या कंस्ट्रक्शन प्रा0लि0,दतिया

(कंपनी के प्रबंध संचालक अथवा कंपनी सेकेट्री/साझेदारी फर्म अथवा एल.एल.पी. के मैनेजनिंग पार्टनर अथवा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति)
(नाम, शीर्षक, पता)

गवाह :
1.
2.

नोटः. प्राधिकार पत्र के निष्पादन के तरीका लागू योग्य, कानून व चार्टर दस्तावेजों में निर्धारित प्रकिया यदि कोई हो, के आधार पर होना चाहिए।